



महत्वपूर्ण निर्देश IMPORTANT INSTRUCTIONS

1

1.1

यह ऑनलाइन प्रवेश सम्बन्धी निर्देश विश्वविद्यालय अधिनियम, परिनियम, अध्यादेशों तथा नियमों द्वारा अधिकृत हैं।

The instructions related to the online admissions are given here, which are authorized under the Act, Ordinances, Rules & Regulations of the University.

1.2

गैप प्रमाण-पत्र: यदि इण्टरमीडियेट के बाद प्रवेश लेने में अन्तराल हो तो अन्तराल के कारण का (10 रु० के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा निर्गत) शपथ-पत्र प्रवेश के समय जमा करें।

Gap Certificate: If there is gap in taking admission after Intermediate, then an affidavit certified by the Notary on Rs. 10.00 Stamp paper has to be submitted at the time of admission.

1.3

यदि आप आरक्षण (reservation) अथवा शून्य शुल्क (zero fees) का लाभ चाहते हैं तो सम्बन्धित प्रमाण-पत्र का विवरण आनलाइन आवेदन के साथ अवश्य दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को भारण या आरक्षण में परिवर्तन की अनुमति नहीं मिलेगी।

If you want benefit of reservation or zero fees, then give the details of the related certificates during the filling of the Online application form. No candidate will get the permission for any change in weightage or reservation after the form is submitted.

1.4

प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे विश्वविद्यालय की वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

The detailed information of the admission procedure will be displayed on the University website. Candidates are advised to check for updates regularly on the University website.

1.5

योग्यता सूची घोषित होने पर इसकी प्रति विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर देखने के लिए उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी को स्वयं अपना योग्यता-क्रमांक, योग्यता-सूची से ज्ञात करना होगा। योग्यता-सूची समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं करायी जायेगी।

After declaration of the merit list a copy of the list will be displayed on the University website. The candidate himself/herself will find his/her merit number from the merit list. The merit list will not be published in the newspaper.

1.6

वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे। यहाँ अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से तात्पर्य इन श्रेणियों के उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों से है।

The Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of reservation. Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes candidates of other states will be treated as general.

1.7

ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण के समय जमा किया गया समस्त शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

All fees deposited at the time of registration will not be refunded under any circumstances.

1.8

छात्रत्व के दौरान रैगिंग जैसी कृत्सित घटना में सम्मिलित होने पर छात्र के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

As directed by the Hon'ble Supreme Court, action will be taken against the students who indulge in incidence like ragging during studentship.

1.9

आरक्षण तथा आय प्रमाण पत्र वेबसाइट से प्रमाणित किया जायेगा।

Reservation and income certificates shall be verified on internet.



2 सामान्य सूचना **GENERAL INFORMATION**

2.1 विश्वविद्यालय को किसी भी समय प्रवेश नियमों में परिवर्तन एवं संशोधन करने का अधिकार है।

The University reserves the right to change or amend the admission rules at any time without prior notification.

2.2 यदि कोई अभ्यर्थी असत्य सूचनाओं/अनुचित साधनों के आधार पर अथवा फर्जी अंक पत्र के आधार पर प्रवेश पाता है तो जिस समय भी यह तथ्य उद्घाटित होगा, उसका प्रवेश प्रारम्भ से ही निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसके विरुद्ध IPC की सम्बन्धित धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

If any candidate gets admission on the basis of false information/improper means or on the basis of false marksheet his/her admission will be treated cancelled from the beginning and legal action will be taken against him/her under IPC.

2.3 कला, वाणिज्य, विधि विज्ञान और ललित कला संकायों में स्नातक छात्रों का दाखिला प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर लिया जायेगा।

In the Faculties of Arts, Commerce, Law, Science and Fine Arts Under Graduate students shall be admitted on the basis of marks obtained in the entrance examination conducted for this purpose.

2.3.1 प्रवेश परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिनका उत्तर 90 मिनट में देना होगा।

The entrance test will comprise of 100 objective type questions to be answered in 90 minutes.

2.4 योग्यता के क्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जायेगा :-

Order of Merit will be determined as follows :-

2.4.1 यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने मेरिट सूची में बराबर अंक/श्रेणी प्राप्त किये हैं तो प्रवेश के लिए मेरिट का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होगा:-

If two or more candidates have secured equivalent marks/rank in the merit Index, then the merit for admission will be determined as follows:-

2.4.2 यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये हैं।

If the marks secured in the entrance test are same in such cases first preference will be given to the candidate who secures higher percentage of marks at High School or equivalent examination.

2.4.3 यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक बराबर है तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

If the marks obtained at the High School or equivalent examination are the same, then in that case the older candidate will be given priority.

2.5 अभ्यर्थी मेरिट पर भारण (यदि कोई है) के लिए हकदार होगा।

The candidate shall be entitled to weightages (if any) on the merit.

2.6 आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश सरकार/लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

The reservation shall be given as permissible under the Uttar Pradesh Government / University Rules.

2.7 विधि संकाय में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थी एक ही समय में किसी अन्य स्नातक या परास्नातक डिग्री/डिप्लोमा या लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या अन्य किसी विश्वविद्यालय या अकादमिक या व्यवसायिक शिक्षा वाले संस्थान के सर्टिफिकेट कोर्स में विधि स्नातक कार्यक्रम के साथ-साथ नामांकित नहीं हो सकते हैं।

In case of students seeking admission to the Faculty of Law, he/she shall not be allowed to simultaneously register for a Law degree program with any other graduate or post graduate degree/diploma or even a certificate course run by the University of Lucknow or any other University or an Institute for academic or professional learning.



- 2.8** विश्वविद्यालय के पास किसी भी प्रवेश को किसी भी अवस्था में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
University reserves the right to cancel any admission at any stage.
- 2.9** हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, इलाहाबाद अथवा नदवा कालेज, लखनऊ से उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि अंग्रेजी भाषा के साथ इण्टरमीडिएट स्तर उत्तीर्ण नहीं हैं तो वे प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।
If the candidate has passed out from Hindi Sahitya Sammelan, Prayag, Allahabad or Nadwa College, Lucknow and has not passed Intermediate with English language then he/she will not be eligible for admission.
- 2.10** विश्वविद्यालय में प्रवेश के इच्छुक सभी विदेशी छात्रों को हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का माध्यम हिन्दी व अंग्रेजी है।
All foreign students seeking admission in the University are compulsorily required to have knowledge of Hindi or English language. Medium of study in University is Hindi and English.
- 2.11** भारण : उत्कृष्ट खिलाड़ी, एन0सी0सी0 'बी' प्रमाण पत्र धारक, विधि संकाय में प्रवेश हेतु महिला अभ्यर्थियों को भारण के फलस्वरूप उनके द्वारा कम्बाइन्ड मेरिट में अर्जित प्राप्तांक का क्रमशः 5%, 2.5%, 5% जोड़कर उनका योग्यता क्रमांक योग्यता सूची में निर्धारित किया जायेगा।
Weightage: The final merit of the candidates bearing the Outstanding sports person, N.C.C % certificate and girl candidates of Faculty of Law will be determined in the merit list by adding 5%, 2.5%, 5% of the total marks obtained by him/her in the combined merit.
- 2.12** विधि संकाय में प्रवेश के लिए / For admission to the Faculty of Law
- 2.12.1** एल-एल0बी0 (इंटीग्रेटेड) कोर्स में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए (किसी भी स्नातक के स्तर पर या कोर्स की किसी भी मध्यस्थ अवस्था पर उसे बाँटते हुए डिग्री प्रदान करने के द्वारा निकास पर) कोई भी पार्श्व प्रवेश नहीं होगा।
For the students taking admission to the LL.B. (Integrated) course there shall be no lateral entry on the plea of graduation in any subject or exit by way of awarding a degree splitting the course at any intermediary stage of the course.
- 2.12.2** प्रवेश प्रक्रिया के लिए यूजीसी / बीसीआई के सुसंगत नियम (समय-समय पर सशोधित) बाध्यकारी होंगे।
The relevant UGC/BCI rules (as amended from time to time) shall be binding.
- 2.13** प्रवेश से सम्बन्धित अध्यादेश के प्रावधानों के प्रतिपादन के सम्बन्ध में सभी विवाद लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति/प्रवेश समिति को सौंपे जायेंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा।
All disputes regarding interpretation of provision of Ordinance related to the admission shall be referred to the Vice-Chancellor/Admission Committee of University of Lucknow and whose decision shall be final.
- 2.14** प्रवेश से सम्बन्धित सभी कानूनी विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ ही होगा।
All the legal matters pertaining to the admission shall be subject to Lucknow Judicature only.